कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

RGDPS अपील संख्याः GCMS No.-2025/166

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
1— शहनाज पुत्र अमरे खां निवासी—सुभाष नगर रोड़, खेमे का कुआं, पाल रोड़, जोधपुर		1—तहसीलदार जोधपुर

<u>द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 6(3), राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011</u>

उपस्थितिः— उभय पक्ष अनुपस्थित

दिनांकः 23.06.2025

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2000 के तहत जन्म आज्ञा—पत्र हेतु दिनांक 19.02.2025 को पदाभिहित अधिकारी—तहसीलदार जोधपुर के समक्ष आवेदन करने पर पदाभिहित अधिकारी—तहसीलदार जोधपुर द्वारा आवेदन की अभिस्वीकृति की समय सीमा में निर्णय नही किया गया। उक्तानुसार निर्णय/जन्म आज्ञा पत्र जारी नही होने से अपीलार्थी द्वारा राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 की धारा 6(2) के तहत प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) के समक्ष दिनांक 07.03.2025 को की गई, प्रथम अपीलीय अधिकारी स्तर पर नियम समय सीमा में निर्णय नही किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन निर्णित नही करने एवं प्रथम अपील के अनिर्णित रहने के आधार पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (GCMS No.-2025/166) कर अपीलार्थी/प्रार्थी एवं प्रत्यर्थी/अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये व पदाभिहित अधिकारी—तहसीलदार जोधपुर से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई.। नियत सुनवाई तिथि दिनांक 13.05.2025 को अपीलार्थी/प्रार्थी उपस्थित, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अंतिम लिखित बहस दिनांक 1[illegible].2025एवं पदाभिहित अधिकारी द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मय आवश्यक [illegible] 23.05.2025 को सामिल पत्रावली किया गया।

कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.06.23 14:45:57 IST
Reason: Approved

Ref No.: 16084480

अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी दोनो पुत्रियों जरीना बानो तथा नूरजहां के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 के अधीन धारा 13(3) के अंतर्गत व राजस्थान जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 9(3) के अनुसार जन्म की अनुज्ञा/जन्म आज्ञा पत्र हेतु पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार जोधपुर के समक्ष दिनांक 19.02.2025 को आवश्यक दस्तावेज– उत्तरदायी व्यक्ति के शपथ पत्र के साथ दो गवाहों के शपथ पत्र, लिखित नोट नगर निगम पार्षद सहित आवेदन क्रमांक 3793 व 3794 से आवेदन किया, जिसमें आवेदन के 7 दिनों के पश्चात भी अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी पदाभिहित अधिकारी तहलीलदार जोधपुर द्वारा आज्ञा पत्र जारी नही किया गया तथा न ही आवेदन खारिज किया अथवा न ही किसी लिखित कारण वापस लौटाया जबकि आवेदन को लंबित रखा गया। बहस के अंत में अपीलार्थी द्वारा जन्म अनुज्ञा/आज्ञा पत्र जारी करवाने एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर शास्ति लगाने की इस्तदुआ की।

प्रत्यर्थी/अप्रार्थी पक्ष पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि कि प्रार्थी शहनाज निवासी खेमें का कुआं, सुभाष नगर रोड़, पाल रोड़, जोधपुर द्वारा अपनी दो पुत्रियों जरीन बानो व नूरजहां का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आज्ञा पत्र जारी करने के लिए दिनांक 19.02.2025 को आवेदन किया गया, जिसमें प्रार्थी के आवेदन में संलग्न दस्तावेजों में संशय होने से प्रार्थी को कार्यालय बुलाया जाकर वेरीफिकेशन हेतु अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया परंतु प्रार्थी द्वारा वेरीफिकेशन हेतु वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर पटवार हल्का दक्षिण, जोधपुर को जांच हेतु पत्र कार्यालय पत्रांक 14 दिनांक 12.03.2025 द्वारा द्वारा जारी किया गया तत्पश्चात संबंधित पटवार हल्का द्वारा दिनांक 21.05.2025 को मौका फर्द पेश की गई। प्रार्थी के वेरिफिकेशन/जांच में समय लगने से समय पर आज्ञा पत्र जारी करने की कार्यवाही पूर्ण न हो सकी जिस हेतु भविष्य में प्रकरणों के जांच में कार्यालय स्तर पर विलम्ब/लापरवाही न हो इस हेतु संबंधित पटवार हल्का को समय पर जांच पूर्ण करने हेतु पाबंद कर दिया गया। प्रार्थी के आज्ञा पत्र में संलग्न दस्तावेज एवं पटवार हल्का मौका फर्द के आधार पर प्रार्थी का आज्ञा पत्र दिनांक 21.05.2025 को जारी कर दिया गया तथा जारी आज्ञा पत्र की प्रति रिपोर्ट के साथ प्रेषित की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से जन्म आज्ञा पत्र जारी करवाने एवं आवेदन समय सीमा में निर्णित [illegible] होने से जिम्मेदार अधिकारियों पर शास्ति लगाने [illegible] रजिस्ट्रार [illegible] जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं राजस्थान [illegible] एवं मृत्यु [illegible] रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के अध्याय 4 के 4.5 (जी) में [illegible] शुद्धता की

कार्यालय जिला कलेक्टर
जोधपुर (राज.)

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.06.23 14:45:57 IST
Reason: Approved

जांच के बाद यदि रजिस्ट्रार स्वंय सतुंष्ट हो जाता है तो उसे घटना का रजिस्ट्रीकरण करना चाहिए। घटना का रजिस्ट्रीकरण करने से पहले उसे सुनिश्चित होना चाहिए कि घटना उसके कार्यक्षेत्र में वास्तव में घटित हुई है।" का वर्णन है। पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को आवेदन से संवंधित वेरिफिकेशन हेतु अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अवगत कराने के उपरांत भी अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये जिसके क्रम में तहसीलदार जोधपुर द्वारा वेरिफिकेशन हेतु जांच प्रस्तावित की गई तथा पटवार हल्का से प्राप्त जांच रिपोर्ट/मौका फर्द के आधार पर दिनांक 21.05.2025 को जन्म आज्ञा पत्र जारी कर दिया गया। अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाकर पदाभिहित अधिकारी को पाबंद किया जाता है कि भविष्य में आज्ञा पत्र से संबंधित प्रकरणों में प्रस्तावित जांचों को त्वरित रूप निस्तारित कर आज्ञा पत्र आवेदनों को निर्धारित समय में निर्णित किया जावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति संबंधित पक्षकारान को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 23.06.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

कार्यालय जिला कलक्टर

–डिजीटल हस्ताक्षर–

(गौरव अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)
एवं जिला कलक्टर
जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.06.23 14:45:57 IST
Reason: Approved